

2022/428

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)


अज अदालत- सहायक कलेक्टर मुकाम- डीडवाना

प्रार्थी :- अलीशेर पुत्र युसुफ अली खां जाति कायमखानी निवासी मावा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण :- दाउद अली खां पुत्र असगर खां जाति कायमखानी निवासी मावा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह।

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 160 सन्-.....2022..

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
01.07.2022	<p>प्रार्थी अलीशेर पुत्र युसुफ अली खां जाति कायमखानी निवासी मावा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण दाउद अली खां पुत्र असगर खां जाति कायमखानी निवासी मावा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह का पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद मावा के खसरा सं० 600, 63, 64 में मौका व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी के खेत जोत व बुवाई में अप्रार्थीगण हस्तक्षेप नहीं करें। प्रार्थी पक्ष सी०पी०सी० के आदेश 39 के नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.08.2022 को पेश हो।</p> <p> सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p>	



29/8/22

वकील प्रार्थी उप.।

अप्रार्थीगण के समान तामिल सेक्टर प्राप्त नहीं। पत्रावली
बैंगलूर समान दिनांक 10/10/22 को पेश हो

[Signature]

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

10/10/22

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश,
अन्य कार्य। दौरे पर पधारें हैं, मिसल
दिनांक 22/12/22 को पेश हो।

22/12/22

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपादित। बार-बार
समाप्त लगे हैं। बार-बार समाप्तों से
अनुपादित / अतः पत्रावली अनुपादित
अनुपादितों के स्वामित्व की जाती है।
पत्रावली के लिए अनुपादित होकर अनुपादित
हैं। (d)

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)